है। उक्त अंकन शुद्ध किये जाने से किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 रिकार्ड अधिकारी है जिसे दुरूस्ती हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया गया है शेष प्रतिवादीगण सह ...दार है जो कि उक्त इंतकाल कार्यवाही में अधीनस्थ कर्मचारियों ने मेरा नाम सही अंकित नहीं किया ... सहखातेदारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः रेवेन्यू रिकार्ड अंकन शुद्धि की घोषणा की डिक्री ग्राम आकोला के हल्के बैरूनी में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में दीगर सह खातेदार के साथ वादी का नाम दुर्गानाथ पिता ऊंकारनाथ निवासी आकोला लिखा है के बजाय प्रचलित दस्तावेजी नाम शंकरनाथ उर्फ दुर्गानाथ खातेदार अंकन किया जाना सादर फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 2 से 16 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया गया। कार्यवाही एकतरफा नहीं होने से साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी नहीं की गई। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, उपस्थित पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया। वकील वादी ने वादपत्र अनुसार तथ्यों का दोहरान कर वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया, उपस्थित वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, भूपालसागर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम आकोला तहसील भूपालसागर में हाल जमाबंदी में दर्ज हाल खाता सं. 945 आ.सं. 4787 किस्म आ.चा. दर्ज है व खाता संख्या 946 के हाल आ.सं. 4779, 4781, 4786, 4788, 4789, 4790, 4791, 4793, 4794, 4795 किता 10 रकबा 1.01 है. तथा हाल खाता सं. 947 के हाल आ.सं. 4780 किता 1 रकबा 0.11 है. भूमि में वादी का नाम दुर्गानाथ पिता ऊंकारनाथ निवासी आकोला लिखा है के बजाय प्रचलित दस्तावेजी नाम शंकरनाथ उर्फ दुर्गानाथ खातेदार अंकन किया जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गग्गोरिया)
...एवं
...अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested